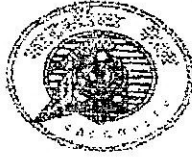


3 pages



११

पूर्वोत्तर रेलवे

1/132/2018

कार्यालय  
महाप्रबन्धक (कार्मिक)  
गोरखपुर।

ई०पी०सं०-20-06

क्रमांक-132/2018

आरबीई सं०-80/2018

सं० ई/540/2/भाग-4/चार

दिनांक 06-08-2018

सचिव/महाप्रबन्धक  
सचिव/अपर महाप्रबन्धक  
सभी विभागाध्यक्ष  
सभी मण्डल रेल प्रबन्धक  
सभी कार्मिक अधिकारी  
सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक  
सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्थापना  
पूर्वोत्तर रेलवे।

विषय:- भारतीय रेल स्थापना नियमावली जिल्द 1 1989 संस्करण के पैरा 1004 और 1005 में सशोधन-उन दावों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण जो नियत तारीख से तीन वर्ष से अधिक पुराना न हों।

रेलवे बोर्ड का पत्र सं० ई(जी) 2014/एएल. 1-20 दिनांक 19.05.2018 की हिन्दी प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक/यथोपरि

( आर०बी०ई० )

सकाधि/मुख्या०-11

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महामंत्री/एन.ई.रेलवे मजदूर यूनियन/गोरखपुर - 40 प्रतियों में।
- 2- महामंत्री/प्रमोटी अधिकारी संघ/पूडरे/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 3- महामंत्री/रेसुब एशोसियेशन/पूडरे/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 4- पूर्वोत्तर रेलवे प्रथम श्रेणी अधिकारी संघ/गोरखपुर - 01 प्रति में।
- 5- महामंत्री/एससी/एसटी एवं ओबीसी एशोसियेशन/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 6- मुकाय्याधी/एमपीपी को बेबसाइट पर अपलोड हेतु - 01 प्रति में।

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

13/04/2018  
10

RCPO

2/13/2018

आर बी ई सं. 80/2018

05.07/18

भारत सरकार  
रेल मंत्रालय  
रेलवे बोर्ड

CPD/NLS  
MPO/HQ/11

सं. ई(जी)2014/एएल 1-20

नई दिल्ली, दिनांक 14-05-2018

महा प्रबंधक,  
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां  
(मानक डाक सूची के अनुसार)

विषय: भारतीय रेल स्थापना नियमावली जिल्द - I (1989 संस्करण) के पैरा 1004 और 1005 में संशोधन -उन दावों के संबंध में स्पष्टीकरण जो नियत तारीख से तीन वर्ष से अधिक पुराने न हो.

भारतीय रेल स्थापना नियमावली जिल्द - I (1989 संस्करण) के पैरा 1004 के अनुसार महाप्रबंधक बकाया दावों की जांच की मंजूरी के लिए प्राधिकृत है: (i) जब दावा नियत तारीख से तीन वर्ष से अधिक पुराना नहीं हो, इसमें शामिल राशि पर ध्यान दिए बिना; (ii) जब दावा तीन वर्ष से अधिक पुराना हो लेकिन तीन वर्ष से आगे की अवधि के संबंध में दावे की राशि 10,000/- से अधिक नहीं हो. पैरा 1005 के अनुसार, वे मामले जिनमें तीन वर्ष से आगे की अवधि के लिए दावों की राशि 10,000/- से अधिक हो, तीन वर्ष की सीमा के भीतर वाले भाग की जांच की मंजूरी महाप्रबंधक द्वारा दी जाती है एवं शेष (अर्थात् तीन वर्ष से आगे के भाग) भाग के लिए आदेशों के लिए रेलवे बोर्ड को भेजी जाएगी

बोर्ड के ध्यान में आया है कि भारतीय रेल स्थापना नियमावली जिल्द - I के पैरा 1004 में उल्लिखित वाक्य "उस तारीख से जब से यह देय है" की व्याख्या के संबंध में भिन्न क्षेत्रीय रेलों में कुछ संदेह हैं जैसा ऊपर दिया गया है. अब इस मामले पर रेलवे बोर्ड में विचार किया गया है एवं यह देखा गया है कि कर्मचारी को कोई भी बकाया अदालत/अधिकरण आदि के निर्देशों/आदेशों के परिणामस्वरूप अथवा संबंधित कर्मचारी अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा शिकायत निवारण आदि के मौजूदा माध्यमों से किए गए अभ्यावेदन पर सक्षम प्राधिकरण द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार देय होता है. उक्त पृष्ठभूमि में, बोर्ड ने निर्णय लिया है कि भारतीय रेल स्थापना नियमावली के पैरा 1004 में उल्लिखित शब्द/वाक्य "उस तारीख से जब से यह देय है" को निम्नानुसार समझा जाए:

135

10.7.18

2/11/18

21

अ/अ/११५१/किल

3  
132/2018

- 2 -

"अदालत, अधिकरण आदि के निर्देशों/आदेशों के अनुसार जारी किए गए प्रशासनिक आदेशों की तारीख अथवा प्रभावित कर्मचारी अथवा उसके प्रतिनिधि आदि से प्राप्त अभ्यावेदन पर सक्षम प्राधिकरण के निर्णय के अनुसार जारी किए गए प्रशासनिक आदेशों की तारीख, जैसा भी मामला हो, से बकाया के दावे होंगे।"

भारतीय रेल स्थापना नियमावली के पैरा 1004 और 1005 में उल्लिखित तीन वर्ष की अवधि की गणना नियत तारीख से की जाएगी जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है।

तदनुसार, भारतीय रेल स्थापना नियमावली जिल्द 1 (1989 संस्करण) के पैरा 1004 और 1005 में अंतर्विष्ट प्रावधान अग्रिम शुद्धि पर्ची सं.....255..... के अनुसार संशोधित किया जाए।

इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

कृपया पावती दें।

संलग्न: यथोक्त।

अ. गौरी

(संजय गौरी)

संयुक्त निदेशक स्थापना (सा.)

रेलवे बोर्ड

- 3/-